

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 210]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 4 जून 2015—ज्येष्ठ 14, शक 1937

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 जून 2015

क्र. एफ-25-1-2004-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 32 एवं 76 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-25-1-दस-3-04 दिनांक 2 फरवरी 2005 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

नियम

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ.—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश संरक्षित वन नियम, 2015 है.
- (2) ये नियम संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य को लागू होंगे.
- (3) ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. परिभाषाएं.—

(1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) “अधिनियम” से अभिप्रेत है भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16);
- (ख) इन नियमों के प्रयोजनों के लिए “वास्तविक आजीविका आवश्यकता”, “सामुदायिक अधिकार” और “गौण वन उत्पाद” का वही अर्थ होगा जो कि अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में उनके लिए दिया गया है;
- (ग) इन नियमों के प्रयोजनों के लिए जिला योजना समिति का वही अर्थ होगा जो मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 (क्रमांक 19 सन् 1995) में उसे दिया गया है;
- (घ) “रहवासियों के कर्तव्य” से अभिप्रेत है इन नियमों के नियम 15 में यथा उपबंधित रहवासियों के कर्तव्य;
- (ङ) “सरकार” से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सरकार

- (च) "ग्राम सभा" का वही अर्थ होगा जो उसे मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) में दिया गया है;
- (छ) "ग्राम वन समिति" से अभिप्रेत है अधिसूचना क्रमांक एफ/16-4/91/दस-2 दिनांक 22 अक्टूबर, 2001 में प्रकाशित शासकीय संकल्प अनुसार ग्रामसभा द्वारा गठित समिति;
- (ज) "निस्तार" से अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित हैं, -
- (एक) अनारक्षित वृक्षों की इमारती लकड़ी;
- (दो) सूखी पड़ी हुई लकड़ी जो इमारती लकड़ी के लिए उपयुक्त न हो,
- (तीन) सूखे बांस और जहां विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित हों, हरे बांस,
- (चार) घास (रुसा, खस, या सबई घास से भिन्न)
- (पांच) कांटे (खैर और करधई के कांटों को छोड़कर)
- (छह) पत्तियां (तेंदू पत्ता के अतिरिक्त)
- (सात) अनारक्षित वृक्ष की छाल (बक्कल); और
- (आठ) नियम 13 के अधीन अनुरीति कार्यों के लिए और उसी ग्राम में आवास के वास्तविक प्रयोजन हेतु; गौण खनिज सतही बौल्डर्स, मुरुम, बालू, छुई और चिकनी मिट्टी ।
- (झ) "व्यावसायिक निस्तार" से अभिप्रेत है लकड़ी के कोयले के विनिर्माण को छोड़कर जीविकोपार्जन के तरीके के रूप में व्यवसाय चलाने के प्रयोजन के लिए अपेक्षित निस्तार;
- (ञ) "पैदावार" से अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित हैं समस्त खाने योग्य जड़ें; फल एवं फूल, कुल्लू वृक्ष के गोंद को छोड़कर प्राकृतिक रूप से निकला गोंद, शहद तथा मोम;
- (ट) "संरक्षित क्षेत्र" का वही अर्थ होगा, जो वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 (1972 का 53) में उसके लिए दिया गया है;
- (ठ) "ग्राम का निवासी" से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति जो कि साधारणतया उसी ग्राम में निवास करता हो;
- (ड) "शहरी क्षेत्र" का वही अर्थ होगा, जो मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) में उसके लिए दिया गया है ।

- (2) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हुए हैं किंतु परिभाषित नहीं किए गए हैं, वे ही अर्थ होंगे जो कि मध्य प्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) में उनके लिए दिए गए हैं ।

3. संरक्षित वन को संबद्ध करना,—

कलक्टर, वन मण्डलाधिकारी से परामर्श तथा सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार किसी भी संरक्षित वन या उसके भाग को, जो कि शहरी क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र में नहीं आता हो, इन नियमों के प्रयोजन के लिए किसी ग्राम से संबद्ध कर सकता है या लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से उसे निरस्त कर सकता है ।

4. ग्राम वन समिति का गठन,—

संबंधित ग्राम की ग्राम सभा उस ग्राम से संबद्ध संरक्षित वन के प्रबंधन के प्रयोजन के लिए, जिसमें संरक्षित वन की सुरक्षा तथा विकास सम्मिलित है, एक ग्राम वन समिति का गठन करेगी ।

5. निस्तार अधिकार,—

- (1) इन नियमों के उपबंधों एवं सरकार अथवा इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेशों के अध्यक्षीन रहते हुए, ग्रामों के निवासियों को सम्बद्ध किए गए संरक्षित वन से उनकी निस्तार तथा पैदावार आवश्यकताएं निःशुल्क या संरक्षित वन समिति को रकम भुगतान करने पर प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी ।

स्पष्टीकरण— अभिव्यक्ति "निस्तार आवश्यकताएं" या "पैदावार आवश्यकताएं" से अभिप्रेत है वास्तविक व घरेलू उपभोग तथा आजीविका आवश्यकताओं के लिए अपेक्षित निस्तार तथा पैदावार;

- (2) 'जिला योजना समिति' वन मण्डलाधिकारी से परामर्श करके समय-समय पर, संबद्ध संरक्षित वन से काष्ठ तथा जलाऊ लकड़ी जिसमें व्यावसायिक निस्तार सम्मिलित है, को हटाने के लिए ग्राम वन समिति को देय फीस की दरें नियत करेगी ।
- (3) उप नियम (1) के अधीन अनुज्ञात निस्तार एवं पैदावार आवश्यकताओं की मात्रा प्रत्येक परिवार की वास्तविक आजीविका आवश्यकता एवं निस्तार सामग्री की उपलब्धता के अध्यक्षीन होगी । जहां उपलब्ध निस्तार सामग्री कुल आवश्यकता से कम होगी, वहां निस्तार सामग्री को, ग्राम वन समिति द्वारा समान रूप से वितरित किया जाएगा ।

(4) (क) वन मण्डलाधिकारी अथवा उसके द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत अन्य वन अधिकारी, जो वन क्षेत्रपाल से अनिम्न श्रेणी का हो, समय-समय पर, ग्राम वन समिति के परामर्श से प्रत्येक वर्ष एक क्षेत्र निर्धारित करेंगे जिसमें से निस्तार प्राप्त किया जाएगा और ग्रामीण केवल उसी क्षेत्र से अपना निस्तार प्राप्त करेंगे।

(ख) वन मण्डलाधिकारी अथवा वन मण्डलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत वन क्षेत्रपाल से अनिम्न स्तर का अन्य वन अधिकारी, समय-समय पर व्यावसायिक निस्तार करने के लिए समुचित क्षेत्र, विनिर्दिष्ट एवं सुरक्षित करेंगे एवं उपनियम (1) के अधीन "निस्तार" तथा "पैदावार" की आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात् दोहन की उपलब्धता तक सीमित रहते हुए उक्त क्षेत्र से प्राप्ति योग्य अतिरिक्त मात्रा संसूचित करेगा।

6. बंद अवधि,—

- (1) इन नियमों के अधीन ग्राम से संबद्ध किए गए संरक्षित वनों में प्रत्येक वर्ष एक जुलाई से शुरू होकर पन्द्रह अक्टूबर को समाप्त होने वाली अवधि में वृक्षों का गिराया जाना एवं काष्ठ तथा जलाऊ लकड़ी का हटाया जाना प्रतिबंधित रहेगा, जो बंद अवधि कहलाएगी।
- (2) ग्राम वन समिति संबंधित वन क्षेत्रपाल के परामर्श से उनसे संबद्ध संरक्षित वन के लिए एक वर्ष की किसी अवधि या कुछ अवधियों को बंद समय घोषित कर सकेगी अथवा कुछ वन क्षेत्र को एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए कतिपय वनोपज के संग्रहण हेतु बंद घोषित कर सकेगी अथवा किसी लघु वनोपज की मात्राओं की दोहन सीमा अधिरोपित कर सकेगी अथवा किसी लघु वनोपज के संग्रहण अथवा दोहन हेतु टिकाऊ हार्वेस्टिंग प्रणाली निर्धारित कर सकेगी।
- (3) संबद्ध संरक्षित वनों में स्थित जलीय क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष दिनांक 16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्याखेट रद्द रहेगा।

7. काष्ठ एवं जलाऊ लकड़ी का हटाया जाना,—

- (1) ग्राम वन समिति, वन क्षेत्रपाल के परामर्श से उससे संबद्ध ग्राम वनों में वृक्षों का गिराना तथा काष्ठ एवं जलाऊ लकड़ी का हटाना विनियमित करेगी।
- (2) प्रत्येक वर्ष खुली कालावधि शुरू होने के पूर्व वन क्षेत्रपाल, ग्राम वन समिति को उससे संबद्ध ग्राम वन क्षेत्र में पातन एवं हटाने हेतु उपलब्ध काष्ठ एवं जलाऊ लकड़ी की प्राक्कलित मात्रा संसूचित करेंगे।

- (3) ग्राम वन समिति उन दिवसों, जब वह वृक्षों के पातन का आशय रखती है, का विनिश्चय करेगी एवं उसे वन क्षेत्रपाल को संसूचित करेगी ।
- (4) ग्राम वनों में वृक्षों का पातन, वन क्षेत्रपाल द्वारा प्रतिनियुक्त वन अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन किया जाएगा ।
- (5) ग्राम वन क्षेत्र से काष्ठ की निकासी, उस पर वन क्षेत्रपाल द्वारा प्राधिकृत वन अधिकारी द्वारा हेमर मार्क लगा दिए जाने के उपरांत ही की जाएगी ।

8. वनोपज का बंटवारा,—

- (1) निस्तार, जिसमें आजीविका निस्तार भी सम्मिलित है, के पश्चात् अधिशेष काष्ठ और जलाऊ लकड़ी ग्राम वन समिति द्वारा निर्वर्तित जा सकेगी ।
- (2) काष्ठ एवं जलाऊ लकड़ी के निवर्तन से प्राप्त आगम सर्वप्रथम वन संरक्षण एवं विकास हेतु प्रयुक्त किए जाएंगे । अतिशेष, यदि कोई हो, ग्राम वन समिति द्वारा ग्रामवासियों के कल्याण हेतु उपयोग किए जा सकेंगे ।
- (3) नियम 5 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ग्राम वन समिति, सरकार के पूर्व अनुमोदन से किसी कंपनी अथवा निगमित निकाय जो कि सरकार द्वारा धारित, प्रबंधित एवं नियंत्रित हो अथवा ऐसी निर्माण गतिविधि में संलग्न हो, जिसके लिए वनोपज एक कच्चा माल हो, के साथ उक्त कंपनी अथवा निगमित निकाय द्वारा संरक्षित वन के विकास हेतु किये गये निवेश के प्रतिफल को ध्यान में रखकर उससे संबद्ध संरक्षित वन से प्राप्त वनोपज के बंटवारे हेतु अनुबंध कर सकेगी ।

9. वृक्षों का पातन एवं काष्ठ का हटाया जाना,—

- (1) ग्राम से संबद्ध संरक्षित वनों में वृक्षों का पातन तथा काष्ठ का हटाया जाना, नियम 12 में विहित की गई प्रबंध योजना के अनुसार एवं निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा, जब तक कि वन क्षेत्रपाल द्वारा लिखित में अनुज्ञात न किया गया हो, अर्थात्,—
 - (एक) किसी वृक्ष के चारों ओर काट कर घेरा (गर्डल) नहीं डाला जाएगा या काफी ऊपर से काट कर मुण्डा (पोलार्ड) नहीं किया जायेगा या उसकी डालियाँ नहीं काटी जायेंगी ।
 - (दो) गोंद या राल के संग्रहण के उद्देश्य से किसी वृक्ष में घाव नहीं किये जाएंगे ।
 - (तीन) किसी वृक्ष को उखाड़ा, जलाया या किसी अन्य प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा ।

(चार) कोई भी वृक्ष, जो छाती ऊँचाई पर 21 से.मी. गोलाई से कम हो, नहीं काटे जायेंगे।

(2) बांस निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन काटे जाएंगे, जब तक कि वन विभाग स्थानीय परिस्थितियों के अध्यक्षीन नियम विहित नहीं करता,—

(एक) बांसों का काटने का चक्र कम से कम दो वर्ष का होगा। वार्षिक कूप समुचित भागों में बांटे जाएंगे तथा गिराया जाना भागों के अनुसार किया जाएगा। उदाहरणार्थ— अगले भाग में कटाई पूर्व भाग में इन नियमों के अनुसार कार्य होने के बाद ही शुरू की जाएगी।

(दो) कोई भी अपरिपक्व कल्म जैसे कि करला, चालू ऋतु का कल्म तथा माहिला अथवा पिछले मौसम का कल्म नहीं काटा जायेगा।

(तीन) बांस के राइजोम खोदे नहीं जायेंगे।

(चार) किसी भी बांस के भिरे (क्लम्प), जिसमें करला व माहिला को सम्मिलित करते हुए दस से कम जीवित कल्म हों, पर कार्य नहीं किया जायेगा।

(पांच) दस अथवा अधिक जीवित कल्म वाले भिरा में, परिपक्व कल्म (20 से. मी. ऊँचाई से कम पर टूटे हुए को छोड़कर), जो कि कटाई के पश्चात, छूट गये हों, समान रूप से दूरी पर किये जायेंगे तथा इनकी संख्या करलों से कम से कम दोगुनी होनी चाहिए। बशर्ते न्यूनतम 10 जीवित कल्म हों।

उदाहरण — मान लीजिये एक भिरा में 12 कल्म हैं, जिसमें 3 करला हैं, तब सभी करला, जैसे कि 3 में उक्त संख्या का दोगुना जोड़ें यानि 6, कुल 9 कल्म साधारणतः भिरे में छूट जाने चाहिए लेकिन जैसे कि यह कुल संख्या 10 से कम है तो एक और कल्म को रखा जाना चाहिए। इस प्रकार कुल 3 करला एवं $10-3=7$ दूसरे कल्म, माहिला को छोड़कर, भिरा में छोड़े जाएंगे।

(छह) भूमि स्तर से ऊपर की ऊँचाई, जिस पर कल्म काटे जायेंगे, 15 से. मी. से कम अथवा 45 से.मी. से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा किसी भी स्थिति में प्रथम दो जोड़ों के बीच के भाग से नीचे नहीं होगी।

(सात) कटान, एक तेज धार वाले उपकरण से ही किया जाएगा, जिससे टूट फट ना सके।

(आठ) समस्त कटाई अवशेष भिरा की परिधि से कम से कम 30 से.मी. की दूरी तक हटाए जाएंगे।

(नौ) किसी भी स्थिति में करला व माहिला बांस बंडलों को बांधे जाने हेतु रस्सी के रूप में उपयोग नहीं किये जायेंगे।

10. वनोपज का परिवहन,—

- (1) इन नियमों के अधीन संबद्ध संरक्षित वन से निकाली गई समस्त काष्ठ एवं जलाऊ लकड़ी पहले ग्राम वन समिति द्वारा पहले ग्राम में निर्धारित स्थान पर ले जाई जायेगी और यदि आवश्यक हो तो अन्य स्थान को परिवहन की जाएगी।
- (2) ग्राम से काष्ठ एवं जलाऊ लकड़ी का परिवहन मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2000 के प्रावधानों के अंतर्गत विनियमित किया जायेगा।

11. चराई अधिकार,—

- (1) संबंधित ग्राम के निवासियों को संरक्षित वन क्षेत्र में, जो कि ग्राम से संबद्ध है, मध्य प्रदेश चराई नियम, 1986 के अनुसार पशुओं को चराई की अनुमति होगी:

परंतु कोई भी व्यक्ति, घास-बीड़, जलाऊ सह चारा क्षेत्र, पुनरूत्पादन व वृक्षारोपण क्षेत्रों के अंतर्गत वन मण्डलाधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना पशु नहीं चराएगा। संबद्ध संरक्षित वन में भेड़, बकरी एवं ऊँट की चराई की अनुमति नहीं दी जायेगी।

- (2) ग्राम वन समिति उससे संबद्ध संरक्षित वनों में, समय-समय पर, वन क्षेत्रपाल से परामर्श कर, ऐसी फीस प्रभारित करके जैसी कि वह नियत करे, दूसरे ग्रामों के पशुओं को चराई की अनुमति दे सकेगी।

12. प्रबंध योजना,—

- (1) संरक्षित वन के प्रबंधन, जिसमें वृक्षों की कटाई, इमारती लकड़ी का हटाया जाना और चराई सम्मिलित है, इन नियमों के अनुरूप तैयार किए गए संरक्षित वन की प्रबंधन योजना के उपबंधों के अनुसार वन क्षेत्रपाल द्वारा ग्राम सभा से परामर्श करके विनियमित किया जाएगा।

- (2) इस प्रकार तैयार की गई प्रबंध योजना संबंधित उप वन मण्डलाधिकारी के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जायेगी, जो उसे ऐसे संशोधन करने के पश्चात्, जैसे वह आवश्यक समझे, अनुमोदित करेगा।

13. भूमि की सफाई एवं तोड़ना,—

ग्राम से संबद्ध संरक्षित वन में ग्रामवासियों को नीचे उल्लिखित सुविधाओं और लाभों के सिवाय कृषि या किसी अन्य प्रयोजन के लिए भूमि साफ करना या तोड़ना प्रतिषिद्ध है,—

- (एक) स्कूल
- (दो) डिस्पेंसरी, अस्पताल
- (तीन) आंगनबाड़ी
- (चार) पेयजल सप्लाई एवं पानी की पाईप लाईन
- (पांच) ग्राम तालाब का निर्माण
- (छह) जल एवं वर्षा जल हेतु जल संचयन संरचना
- (सात) सूक्ष्म सिंचाई नहर एवं जल वितरण चैनल
- (आठ) मार्ग का निर्माण एवं रखरखाव
- (नौ) फोटोवालटिक ऊर्जा उत्पादन प्रणाली की स्थापना

14. किसी ग्राम से असंबद्ध संरक्षित वन,—

- (1) संरक्षित वन, जो कि नियम 3 के अनुसार किसी ग्राम से संबद्ध नहीं है, का प्रबंधन, वन मण्डलाधिकारी द्वारा, शासन द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।
- (2) असंबद्ध संरक्षित वनों में निम्नलिखित कार्य, वन क्षेत्रपाल से अनिम्न श्रेणी के वन अधिकारी, की लिखित अनुमति के बिना प्रतिबंधित होंगे:—
 - (क) वृक्षों एवं काष्ठ की कटाई, चिराई, रूपांतरण एवं हटाया जाना तथा वन उत्पादों का संग्रहण, प्रसंस्करण एवं हटाया जाना,
 - (ख) ऐसे वन क्षेत्र में कृषि अथवा अन्य प्रयोजन हेतु भूमि की सफाई एवं समतलीकरण।
- (3) उप नियम (2) में उल्लिखित प्रतिबंधों के अतिरिक्त, शहरी क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक संरक्षित वन में घास कटाई अथवा मवेशियों के चराई भी प्रतिबंधित रहेगी।

15. रहवासियों के कर्तव्य,—

ग्राम के प्रत्येक रहवासी का यह कर्तव्य होगा कि वह,—

- (क) ग्राम से संबद्ध संरक्षित वन क्षेत्र में ऐसे अपराध को रोके जो अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में है और ग्राम से संबद्ध संरक्षित वन में कारित किया जा रहा है ।
- (ख) ऐसे व्यक्ति जिसने संरक्षित वन क्षेत्र में अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में कोई अपराध कारित किया है, को पकड़वाने में तथा विधिक कार्रवाई शुरू किए जाने में सहायता करे ।
- (ग) संबद्ध संरक्षित वन क्षेत्र में अपराध घटित होने के बारे में वन अधिकारी को सूचित करे तथा वन अधिकारी द्वारा कार्यवाही आरंभ किए जाने तक वनोपज की सुरक्षा करे ।
- (घ) संबद्ध संरक्षित वन क्षेत्र में आग लगने का ज्ञान होने या उसकी जानकारी होने पर आग बुझाने में मदद करे तथा आग को आगे बढ़ने से रोके ।
- (ङ.) इस अधिनियम या इन नियमों के विरुद्ध कारित किसी अपराध या ऐसे किसी अपराध के विचारण में किसी वन अधिकारी या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर सहायता करे ।

No. F-25-1-2004-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 32 and Section 76 of the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927) and in suppression of this Department's Notification No. F-25-1/X-3-04 dated 02.02.2005, the State Government, hereby, makes the following rules, namely :-

RULES

1. Short Title, Extent and Commencement.-

- (1) These rules may be called the Madhya Pradesh Protected Forest Rules, 2015.
- (2) These rules shall be applicable to the whole State of Madhya Pradesh.
- (3) They shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.

2. Definitions.-

- (1) In these rules, unless the context otherwise requires:
 - (a) "Act" means the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927);
 - (b) "Bona fide livelihood needs", "community rights" and "minor forest produce" for the purposes of these rules shall have the same meaning as assigned to them in The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007);
 - (c) "District Planning Committee" for the purposes of these rules shall have the same meaning as assigned to it in Madhya Pradesh Zila Yojana Samiti Adhiniyam, 1995 (No. 19 of 1995);
 - (d) "Duties of residents" means the duties of residents as provided in Rule 15 of these rules;
 - (e) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;
 - (f) "Gram Sabha" shall have the same meaning as assigned to it in Madhya Pradesh Panchayat Raj avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No 1 of 1994);
 - (g) "Gram Van Samiti" means the committee constituted by Gram Sabha as per the Government Resolution published in the Notification No. F 16-4-91-X-2, Dated 22 October, 2001;
 - (h) "Nistar" means and includes:-
 - (i) Timber of unreserved trees;
 - (ii) Dry fallen wood not fit for timber;
 - (iii) Dry bamboos and green bamboos where specifically mentioned;
 - (iv) Grasses other than Rusa, Khus or Sabai grass;
 - (v) Thorns other than those of Khair and Kardhai;
 - (vi) Leaves excluding tendu leaves;
 - (vii) Bark (Bakkal) of un-reserved trees; and

(viii) Minor minerals surface boulders, murum, sand, chhui and clay for works permitted under Rule 13 and for bona fide purpose within the same village for dwelling purposes.

- (i) "Occupational Nistar" means nistar required for the purpose of carrying on an occupation as a means of livelihood except manufacturing of charcoal;
- (j) "Paidawar" means and includes all edible roots, fruits and flowers, naturally exuded gum except the gum from Kullu trees, honey and wax;
- (k) "Protected area" shall have the same meaning as assigned to it under The Wild life Protection Act, 1972 (53 of 1972);
- (l) "Resident of a village" means a person who ordinarily resides in that village;
- (m) "Urban area" shall have the same meaning as assigned to it in the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959).

(2) The words and expressions used but not defined in these rules, shall have the same meanings as assigned to them in the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) as applicable to the State of Madhya Pradesh.

3. Attachment of a Protected Forest.-

The Collector, in consultation with the Divisional Forest Officer and in accordance with the orders issued by the Government, may attach any Protected Forest or a part of it, not lying within any urban area or any protected area, to a village for the purpose of these rules or cancel the same for reasons to be recorded in writing.

4. Constitution of Gram Van Samiti.-

The Gram Sabha of concerned village shall constitute a Gram Van Samiti for the purpose of managing the protected forest attached to that village which includes the protection and development of the protected forest.

5. Nistar rights.-

(1) Subject to the provisions of these rules and orders issued by the Government or any other officer authorised by the Government for this purpose, residents of the village shall be permitted to obtain, either free of charge or on payment to the Gram Van Samiti for their nistar and paidawar requirements from the attached Protected Forest.

Explanation- The expression "Nistar requirements" and "Paidawar requirements" shall mean the Nistar and Paidawar, required for the purpose of bonafide domestic consumption and livelihood needs.

(2) District Planning Committee shall in consultation with Divisional Forest Officer, from time to time fix rates payable to Gram Van Samiti for timber and fuel wood for Nistar, including occupational Nistar removed from attached protected forests.

(3) The quantum of nistar and paidawar requirements permitted under sub-rule (1) shall be subject to the bonafide livelihood needs of each family and limited to availability of nistar material. Where available nistar material falls short of the

total requirement, the nistar material shall be equitably rationed by the Gram Van Samiti.

- (4) (a) The Divisional Forest Officer or any Forest Officer specially authorised by him not below the rank of Range Officer shall from time to time in consultation with the Gram Van Samiti specify the area from which the nistar is to be obtained each year and the villagers shall obtain their nistar only from such areas.
- (b) The Divisional Forest Officer or any officer not below the rank of Range Officer authorised by the Divisional Forest Officer shall from time to time specify and reserve a reasonable area for the exercise of occupational nistar and communicate the quantum of additional material which could be obtained from such area under exploitation limited to availability of material, after meeting the "Nistar" and "Paidawar" requirements under sub-rule (1).

6. Closed Period.-

- (1) Protected Forest attached to village shall remain closed for felling of trees and removal of timber and fuel-wood, under these rules, in the period beginning on 1st July and ending on 15th October every year, to be known as closed period.
- (2) Gram Van Samiti in consultation with the concerned range officer, for the protected forest attached to it, may declare certain period or periods of a year as closed season, or may declare certain forest areas as closed areas for a specified period for collection of certain forest produce, or may impose limits on quantities of any minor forest produce that can be removed, or may require that certain sustainable harvesting practices for the collection or extraction of any minor forest produce should be followed.
- (3) Fishing in water bodies existing in the attached protected forest will remain closed for a period between 16th June to 15th of August every year.

7. Removal of timber and fuel wood.-

- (1) Gram Van Samiti shall regulate the felling of trees and removal of timber and fuel wood from a protected forest attached to it, in consultation with the Range Officer.
- (2) Every year before the beginning of the open period, the Range Officer shall communicate to the Gram Van Samiti the estimated quantity of the timber and fuel wood likely to be available for felling or removal in the protected forest attached to it.
- (3) Gram Van Samiti shall decide the days when it intends to fell trees and communicate the same to the Range Officer.
- (4) Felling of trees, in the protected forest attached to the village, shall be carried under the supervision of a Forest Officer deputed by Range Officer.
- (5) The timber will be removed from the forest after putting a hammer mark on it for identification by the forest officer deputed by the Range Officer.

8. Sharing of forest produce.-

- (1) The timber and fuel wood, surplus after the Nistar, including occupational Nistar requirements, may be disposed off by Gram Van Samiti.
- (2) The proceeds from disposal of timber or fuel wood shall be first utilized for the protection and development of the forest. The surplus, if any, may be utilized by the Gram Van Samiti for the welfare of residents of the village.
- (3) Notwithstanding anything contained in rule 5, Gram Van Samiti with the prior approval of the Government, can enter into an agreement with a company or a

body corporate, owned, managed and controlled by the Government or engaged in a manufacturing activity for which any forest produce is a raw material, to share any forest produce from that protected forest attached to it as consideration for the investment made by that company or body corporate towards the development of that Protected Forest.

9. Cutting of trees and removal of timber.-

- (1) The cutting and removal of trees and timber from the protected forests attached to a village shall be in accordance with the management plan, as provided in rule 12 and will be subject to the following conditions, unless permitted in writing by the range officer, namely:-
 - (i) No tree shall be girdled, pollarded or lopped.
 - (ii) No tree shall be wounded for the collection of gum and resin.
 - (iii) No tree shall be uprooted, burnt or injured in any other manner.
 - (iv) No tree under 21 cms girth at breast height shall be cut.
- (2) Bamboos shall be cut subject to the following conditions unless forest department prescribe rules subject to the local conditions :-
 - (i) The cutting cycle for bamboos shall be at least 2 years. Annual coupe shall be divided into appropriate sections and felling shall proceed sectionwise, i.e. cutting in the next section shall be taken up after the previous section has been worked in accordance with these rules.
 - (ii) No live immature culm, viz. karla or the current season's culm and mahila or culm of the previous season, shall be cut.
 - (iii) Rhizomes of bamboos shall not be dug.
 - (iv) No bamboo clump containing less than ten live culms including karla and mahila shall be worked;
 - (v) In clump containing 10 or more live culms, the mature culms (other than those broken at a height of less than 20 cms.) that are left after cutting shall be uniformly spaced and their number shall be equal to at least twice the number of karlas subject to a minimum of 10 live culms.

Example:- In case there are 12 culms in a clump of which 3 are karlas then all the karlas i.e. 3 plus twice that number i.e. 6, total 9 culms should ordinarily have been left in the clump, but as this total is less than 10, one more culm shall be retained. That is, in all 3 karlas plus (10-3) i.e. 7 other culms excluding mahila, shall be left in the clump.
 - (vi) The height above ground level at which the culms are cut shall not be less than 15 cms. or more than 45 cms. and in any case not below the first inter node.
 - (vii) The cut shall be made with a sharp instrument so that the stump is not split.
 - (viii) All cutting debris shall be removed at least 30 cms. away from the periphery of the clump.
 - (ix) Karla and mahila bamboos shall in no case be used for making strips for tying bundles.

10. Transportation of forest produce.-

- (1) All timber and fuel wood, removed from a protected forest under these rules, shall be first moved to a place in the village determined by the Gram Van Samiti, and then transported to any other place, if required.
- (2) Transportation of timber and fuel wood from the village shall be regulated by the provisions of MP Transit (Forest Produce) Rules, 2000.

11. Grazing rights.-

- (1) Residents of the concerned village shall be permitted to graze their cattle in Protected Forest attached to that village in accordance with Madhya Pradesh Grazing Rules, 1986:

Provided that no person shall graze cattle in grass-birs, fuel-cum-fodder reserves, areas under re-generation and plantation except with the prior permission of the Divisional Forest Officer. Sheep, goats and camel shall not be allowed for grazing in attached protected area.

- (2) Gram Van Samiti may permit grazing by cattle from other villages on such fee to be charged for grazing in the attached protected forest as may be fixed by it, in consultation with Range Officer, from time to time.

12. Management Plan.-

- (1) Management of protected forest including cutting of trees, removal of timber and grazing shall be regulated, as per the provisions of the Management Plan of the protected forest attached to the village, prepared in consonance with these rules by the Range Officer- in consultation with the Gram Sabha.
- (2) The Management Plan, so prepared, shall be put up before the concerned Sub Divisional Forest Officer for approval, who shall approve it after making such amendments as he deems necessary.

13. Clearing and breaking of land.-

The clearing and breaking up of land for cultivation or any other purpose is prohibited in protected forest attached to the village except for facilities mentioned below for the benefit of residents of the village –

- (i) School;
- (ii) Dispensary, hospital;
- (iii) Anganbadi;
- (iv) Drinking water supply and water pipeline;
- (v) Construction of village ponds ;
- (vi) Water and rain water harvesting structures;
- (vii) Minor irrigation canal, and water distribution channels;
- (viii) Construction and maintenance of roads;
- (ix) Installation of photovoltaic power generating systems.

14. Protected Forest not attached to any Village.-

- (1) Protected forest not attached to any village as per rule 3, shall be managed by the Divisional Forest Officer according to the orders issued by the Government from time to time.
- (2) The following acts are prohibited in every unattached protected forest except with the written permission of a forest officer not below the rank of a Range Officer:

- (a) the cutting, sawing, conversion and removal of trees and timber, and the collection, manufacture and removal of forest-produce ;
 - (b) clearing and breaking up of land for cultivation or other purposes in such forests;
- (3) In addition to the restrictions mentioned in sub rule (2), cutting of grass and pasturing of cattle in every protected forest lying in any urban area are also prohibited;

15. Duties of Residents.-

It shall be the duty of every resident of the village to:-

- (a) prevent the commission of any offence which is in contravention of the provision of the act and is being committed in the protected forest area attached to the village;
- (b) help in apprehending and initiating legal action against the person who has committed any offence in the protected forest area in contravention of the provision of the act;
- (c) to report the forest officer about the offence committed in the attached protected forest and safeguard the forest area produce until the forest officer takes charge thereof;
- (d) to help in extinguish the fire about which he has knowledge or has received information and to prevent the fire from spreading;
- (e) to assist any forest officer or police officer demanding his aid for preventing the commission of any offence against the Act or these rules or in the investigation of any such offence.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनूप सिंह राजपूत, अपर सचिव.